प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 64/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

Rituraj Singh Rathore Add: 371, Marg-19, B-Road, New BJS colony, **Jodhpur, Raj.**

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(प्रशा.), उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 02/06/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का **अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत** एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329865042863431 **प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन** प्रार्थना पत्र **दिनांक** 09.03.2025 को प्रत्यर्थी के **कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही** गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना **उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की** गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की **जाकर प्रत्यर्थी** से अपील पर जवाब **तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन** पत्र क्रमांक 8536318974 दिनांक 24.04.2025 एवं **कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/**प्रथम अपील/64/25/410–11 दिनांक 24.04.2025 **से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत** जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला **कलक्टर(प्रशासन)**, उदयपुर ने जरिये **पत्रांक: प. /41/2/प्र.अ.स./64/25/494–95 दिनांक** 05.06.2025 से न्यायालय को **प्रत्युत्तर** एवं **अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचना** प्रेषित की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. **जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर** द्वारा अपीलार्थी को सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक उपलब्ध **करा दी गई है एवं प्रेषित सूचना के** विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/**प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी** सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी **स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि** वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह **प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।**

उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में **अपील अपीलार्थी** सारहीन होने से खारिज **की जाती है। लोक सूचना अधिकारी** एवं अति. जिला **कलक्टर**(प्रशासन), उदयपुर को **निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में** नियमानुसार निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध कराये। **निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित** की जावे। पत्रावली **फैसल** शुमार होकर बाद कार्यवाही **दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक 02-06-25 **को** लिखवाया जाकर खुले न्यायालय **में सुनाया गया।**

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर